



BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : मवीकला	परगना : (सहारनपुर)	तहसील : सहारनपुर	जनपद : सहारनपुर	फसली वर्ष : 1424-1429	भाग : 1	खाता संख्या : 00016
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी		
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।						
आवास एवं विकास परिषद / सहारनपुर / 0	113	0.1620	1420फ कार्यालय विशेष भूमि अध्यायि अधिकारी (संयुक्त संगठन)			
	114	0.0410	सहारनपुर फ़ॉनक 1444/अड- वि०भू०अ०अ०(सं०स०) सहारनपुर/दि०			
	115म..	0.0400	12.2.13विषय- विषय-उ०प्र०अ०अ०अ०(सं०स०) विकास परिषद की योजना सं०			
	115म...	0.0400	8 ग्राम मवीकला में अर्जित भूमि ख०न० 277/1,277/2ख,			
	115म.	0.0790	278/1,278/2 अर्जन मुक्त करने के संदर्भ में.			
	116	0.1640	श्री प्रवीण कुमार, प्रमुख सचिव आवास एवं विकास शहरी नियोजन अनुभाग-			
	117	0.1740	2-2012-15 भू०अ०/2001लखनऊ दि० 1.11.12 के अन्तर्गत			
	119म.	0.1230	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की दिल्ली रोर भूमि विकास एवं			
	119म..	0.0310	गृहस्थान योजना सं० 8 स०पुर			
	120.	0.0820	के अन्तर्गत ग्राम मवीकला की खसरा सं० 277/1, 277/2, 278/1,			
	123	0.2660	278/2 कुल क्षेत्रफल 2.932हे० भूमि इस शर्त के साथ अर्जनमुक्त किये			
	124	0.3160	जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष अनुमति प्रदान की गई है कि उ			
	125म.	0.0720	आदेश के फलस्वरूप उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा अभिकक्षित			
	125म..	0.0720	प्रस्तावित 24मीटर टुक रोड हेतु आवश्यक भूमि अर्जनमुक्त नहीं मानी			
	125म...	0.0720	जायेगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में राजकीय गजट दि० 1.11.12			
	125म	0.0720	की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में			
	126म	0.1090	इन्द्राज करे। सरकारी गजट			
	126म.	0.0550	उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट			
	127म.	0.0310	भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) लखनऊ बृहस्पतिवार, 01 नवम्बर,			
	127म..	0.0310	2012 कार्तिक 10, 1934शक सम्बत् उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं			
	129म	0.0240	शहरी नियोजन अनुभाग-2 सं० 2125/अड-			
	129म.	0.0480	2-2012-15भू०अ०-2001			
	130म.	0.0280	लखनऊ 01 नवम्बर 2012 अधिसूचना भू०अ०-590 यत् उ०प्र०आवास			
	130म..	0.0280	एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उ०प्र०अधिनियम संख्या 1 सन्			
	130म...	0.0280	1966) की धारा 31(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार की स्वीकृति के			
	130म	0.0290	अनुमते उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की दिल्ली रोड भूमि विकास एवं			
	131.	0.4710	गृहस्थान योजना सं०-8			
	132म..	0.0530	मवीकला, जसद स०पुर जिसकी भूमि अर्जन अधिनियम 1894(यथा			
	132म..	0.0530	संशोधित 1984) की धारा 17 की उपधारा 1 के अन्तर्गत अधिसूचना			
	132म...	0.0530	संख्या 314/9-अ-2-2000-28 एच०बी०-98, दि० 4फरवरी 2000			
	132म..	0.0530	द्वारा स्वीकृति/दान की गयी थी। यत्:उपरोक्त अधिसूचना द्वारा उ०प्र०			
	133.	0.1590	आवास एवं विकास परिषद की दिल्ली रोड भूमि			
	134.	0.2050	विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-8 स०पुर के अन्तर्गत ग्राम मवीकला की			
	135.	0.1890	अर्जित की गयी भूमि ख०न० 277/1, 277/2, 278/1 एवं 278/2			
	136..	0.1890	कुल क्षेत्र 2.932हे० को राजस्व अनुभाग -13उ०प्र०शासन द्वारा अपनी			
	137..	0.2870	अधिसूचना सं० 138/1-13-2005-7-5(11)-2003 -रा-13 दि०			
	139.	0.2460	21.7.2005 द्वारा अर्जनमुक्त किये			
	140म..	0.0050	जाने का निर्णय लिया गया था। राजस्व अनुभाग -13 उ०प्र०शासन द्वारा			
	140म.	0.0260	उक्त अधिसूचना दि० 21.7.2005 को पुनः अपनी अधिसूचना			
	141म	0.0170	71/1-13-08-7-5(11)/2003-रा-13 दि० 25.4.2008 द्वारा इस			
	141म..	0.0350	आशय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक विभाग			
	142..	0.2560	(आवास विभाग) प्रकरण			
	146..	0.0310	का निस्तारण अपने स्तर से निर्णय लेकर प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही			
	148/1	0.3410	करे। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रकरण के समान एक अन्य प्रकरण में			
	148/2म	0.0350	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की सिकन्दरा योजना अग्रा की ग्राम			
	149म.	0.0360	ककौटा की गाटा सं० 771, 774 एवं 776 कुल रकबा 6-14-15			
	149म..	0.0360	बीघा भूमि को राजस्व			
	150.	0.2250	अनुभाग-13 द्वारा अपनी अधिसूचना सं० 295/1-13-2006			
	151म.	0.0030	-7-5(38)-2005 दि० 17.2.2006 द्वारा अर्जनमुक्त किये जाने का			
	151म..	0.0030	निर्णय लिया गया था। आवास विभाग द्वारा प्रस्तावित भूमि को अर्जनमुक्त किये			
	151म...	0.0020	जाने सम्बन्धी उक्त अधिसूचना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया			
	151म.	0.0010	गया। राजस्व विभाग ने			
	152.	0.1540	अपने शासकीय पत्र सं०अर०एस०-4/1-13-08-07-5 (38)/2005-			
			राज०-13 दि० 10.10.2008 द्वारा यह अवगत कराया गया कि भूमि			
			अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 48(1) के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्राम			

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद प्रस्त/विक्रय/भू-वन्ध) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अधिस्तन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम.सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
सहारनपुर



271म.	0.3000
272म.	0.0960
272म..	0.1040
272म...	0.1040
272म..	0.1540
272म.	0.0960
274म.	0.0270
274म..	0.0820
274म...	0.0270
274म..	0.0270
275म.	0.5090
276म.	0.0410
276म..	0.0410
277/1.	0.9070
277/2.	0.9070
278/1.	0.5590
278/2.	0.5590
279म.	0.5020
279म..	0.3850
279म...	0.0510
279म..	0.3850
279म....	0.3850
279म...	0.5470
279म.	0.1070
280म.	0.5910
280म..	0.7600
281.	0.4100
284.	2.0950
285.	3.3960
286.	3.0020
287म.	0.2850
287म..	0.2840
287म...	0.2840
287म....	0.2850
287/5.	1.1370
289.	0.1430
290.	0.0560
291.	0.0820
293/1.	0.7020
293/3.	0.7020
293/2.	0.7020
294.	0.5120
119म...	0.0310
186म...	0.0270
260म...	0.3970
115म....	0.0790
181मि	0.5950
195मि	2.1030
225/2	0.5390
225/1.	1.6880
225/3.	0.0140
209.	0.0950
211मि	0.0560
210.	0.0950
211	0.0560
121.	0.2150
128.	0.1020
122.	0.0310
212.	0.3280

योग

233

61.8520

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एचम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग
लखनऊ

परिग्रह-पत्र

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की भूमि ग्रहस्थान योजना संख्या 8 (ग्राम मन्दीरों) सहारनपुर में आवासीय योजना हेतु अर्जित भूमि का उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा - 28 समतुल्य धारा - 4 का प्रकाशन राजकीय गजट दिनांक 2-8-97 तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की अधिनियम की धारा - 32 समतुल्य धारा - 6 का प्रकाशन राजकीय गजट दिनांक 4-12-99 को उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा कराया गया अधिनियम की धारा - 17 (3) के अन्तर्गत कार्यालय-अपरजिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति आवास मेरठ के प्रति निधि श्री मदनलाल अमीन व गिरजन सिंह अमीन द्वारा अधिशारी अभियन्ता उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड - 6 सहारनपुर के प्रतिनिधी श्री नन्दराम सहायक अभियन्ता को आज दिनांक 04-6-2004 को निम्न लिखित खसरा नम्बरान व उसके सम्मुख अर्कित क्षेत्रफल का भौतिक कब्जा हस्तगत किया जाता है। सम्बन्धित खसरा नम्बरों पर यदि कोई सम्पत्ति हो तो भू-स्वामियों द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों के आधार पर सम्पत्ति हटाने की नियमानुसार स्वतन्त्रता होगी-

खसरा न.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
✓ 131 ✓	0.471
254m ✓	0.051
✓ 284 ✓	2.095
195 / 3	0.374
276m ✓	0.041
✓ 252m ✓	0.326 ✓
✓ 279m/2 ✓	0.502
✓ 148 / 1 ✓	0.341
277 / 1	0.907
277 / 2	0.907
योग	6.015 हेक्टेयर

कगशा:- (2)


Handwritten signature


Handwritten text: 2004/06/04

(2)

नोट:- उक्त खसरा नम्बरान के क्षेत्रफल सम्बन्धित भू-स्वागी श्री शिवकुमार आदि द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं. 14230/2002 दाखल कर दि. 17-4-2002 व द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण पूर्व में कब्जा हस्तागत नहीं किया गया था जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड - 6 उ.प्र. आ.वि.प्र. सहारनपुर के पत्रांक मीमो.दि. 4-6-2004 के द्वारा निर्णीत रिट याचिका सं. 14230/2002 की छाया प्रति संलग्न करते हुये अवगत कराया गया है। कि मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दि. 11-5-2004 के द्वारा यह रिट याचिका खारिज हो चुकी है। इसी क्रम में भौतिक कब्जे की कार्यवाही की जा रही है।

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर



मदन लाल अमीन


निरंजन सिंह अमीन
कार्यालय अपर जिलाधिकारी
(भूमि अध्याप्ति) आवारा, गेरठ



अपर जिलाधिकारी (भू.अ.)
आवास, गेरठ

16.6.04
16.6.04
v.c.

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर


(इन्द्रसैन)


अवर-अभियन्ता


(नन्दराम)

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

उ. प्र. आवास एवं विकास
परिषद निर्माण खण्ड - 6
सहारनपुर


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-मेरठ-04
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
सहारनपुर